न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 66/2016 – निगरानी

1. श्री बालचन्द खटीक पुत्र भैरूलाल निवासी बदनोर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्रीमती छगनी देवी पत्नी स्व. बंशी लाल खटीक निवासी बदनोर 2. श्री मोहन लाल पुत्र स्व. बंशीलाल खटीक निवासी बदनोर 3. श्री अर्जुन लाल पुत्र स्व. बंशीलाल खटीक निवासी बदनोर 4. श्री भगवती लाल पुत्र स्व. बंशीलाल खटीक निवासी बदनोर 5. श्री भंवर लाल पुत्र स्व. बंशीलाल खटीक निवासी बदनोर 6. श्री भारत पुत्र स्व. बंशीलाल खटीक निवासी बदनोर 7. ग्राम पंचायत बदनोर जरिये सचिव ग्राम पंचायत बदनोर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत बदनोर पत्रावली कमांक 28/2029 दिनांक 23.11.1972 पटटा जारी दिनांक 19.12.1972

उपस्थित –

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री बी.एल.बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 1 से 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.08.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा खटीक समाज बदनोर को समाज के सामाजिक कार्यकमों के लिये आवेदन करने पर एक भूखण्ड नपती 50 फिट बाई 50 फिट ग्राम पंचायत बदनोर के पत्रावली कमांक 28/2029 दिनांकित 23.11.1972 के द्वारा दिनांक 19.12.1972 को ग्राम पंचायत बदनोर के द्वारा निशुल्क पटटा जारी किया गया जिसके पड़ौस पूर्व में पंचायत का भूखण्ड, पश्चिम में आम रास्ता 15 फिट, उत्तर में रास्ता 41 फिट एवं दक्षिण में पड़त भूमि पंचायत की स्थित हैं। उक्त भूखण्ड खटीक समाज को सामाजिक कार्यकमों के लिये निशुल्क आवंटित कर पटटा जारी किया गया लेकिन कुछ लोगों ने अवैध व अनुचित रूप से गैर निगराकार सं. 01 के

पति एवं गैर निगराकार सं. 02 से 06 के पिता बंशीलाल खटीक को 7700/–रू. में दिनांक 06.09.1986 को विक्रय कर दिया। जिसका की विक्रय करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था और न ही खरीदने वाले को उक्त भूखण्ड खरीदने का अधिकार था क्योंकि उसको यह जानकारी थी कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बदनोर ने खटीक समाज के लिये कार्यक्रमों के लिये निशुल्क दिया था। उक्त पटटा अभी भी खटीक समाज के नाम पंजीकृत हैं। गैर निगराकार सं. 07 ने जानबूझकर अवैध व अनुचित रूप से उक्त भूखण्ड के पटटे को आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया हैं और पंचायत राज के नियमों के विरूद्व उक्त भूखण्ड को विक्रय करने के कारण उक्त पटटा निरस्त किया जाना अति आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की उक्त निगरानी को स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत बदनोर की पत्रावली क्रमांक 28/2029 दिनांकित 23.11.1972 पटटा स्वीकृत आदेश दिनांक 19.12.1972 को अवैध व शून्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत बदनोर से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा खटीक समाज बदनोर को समाज के सामाजिक कार्यक्रमों के लिये आवेदन करने पर एक भूखण्ड नपती 50 फिट बाई 50 फिट ग्राम पंचायत बदनोर के पत्रावली क्रमांक 28/2029 दिनांकित 23.11.1972 के द्वारा दिनांक 19.12.1972 को ग्राम पंचायत बदनोर के द्वारा निशुल्क पटटा जारी किया गया जिसके पड़ौस पूर्व में पंचायत का भूखण्ड, पश्चिम में आम रास्ता 15 फिट, उत्तर में रास्ता 41 फिट एवं दक्षिण में पड़त भूमि पंचायत की स्थित हैं। उक्त भूखण्ड खटीक समाज को सामाजिक कार्यक्रमों के लिये निशुल्क आवंटित कर पटटा जारी किया गया लेकिन कुछ लोगों ने अवैध व अनुचित रूप से गैर निगराकार सं. 01 के पति एवं गैर निगराकार सं. 02 से 06 के पिता बंशीलाल खटीक को 7,700/–रू. में दिनांक 06.09.1986 को विक्रय कर दिया। जिसका की विक्रय करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था और न ही खरीदने वाले को उक्त भूखण्ड खरीदने का अधिकार था क्योंकि उसको यह जानकारी थी कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बदनोर ने खटीक समाज के लिये कार्यक्रमों के लिये निशुल्क दिया था। उक्त पटटा अभी भी खटीक समाज के नाम पंजीकृत हैं। गैर निगराकार सं. 07 ने जानबूझकर अवैध व अनुचित रूप से उक्त भूखण्ड के पटटे को आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया हैं और पंचायत राज के नियमों के विरूद्व उक्त भूखण्ड को विक्रय करने के कारण उक्त पटटा निरस्त किया जाना अति आवश्यक हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की उक्त निगरानी को स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत बदनोर की पत्रावली क्रमांक 28/2029 दिनांकित 23.11.1972 पटटा स्वीकृत आदेश दिनांक 19.12.1972 को अवैध व शुन्य होने से निरस्त फरमाया जावे। निगराकार द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार ने प्रस्तुत निगरानी में खटीक समाज बदनोर को पक्षकार नही बनाया है जिससे निगरानी प्रांरभिक स्तर

पर ही निरस्तनीय हैं। निगराकार निगरानी पेश करने के लिए सक्षम व व्यथित पक्षकार नहीं हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 में बना एवं प्रभाव में आया, लेकिन खटीक समाज बदनोर को भूखण्ड का बापी पटटा सन् 1972 में ही जारी कर दिया गया। उस बापी पटटे को निरस्त करने का कोई भी प्रावधान 1994 के पंचायत राज अधिनियम में नही हैं। निगराकार ने यह कथन किया है कि खटीक समाज ने उक्त भूखण्ड दिनांक 06.09.1986 को 7700/—रू. में श्री बंशीलाल खटीक को विक्रय कर दिया और बंशीलाल के वारिसान गैर निगराकारान का उस पर कब्जा है व मकान बना हुआ हैं, तो यह मामला सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ही बनता हैं, न कि निगरानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार का हैं। निगरानी न्यायालय को पटटे की वैधानिकता के बारे में कि पटटा नियमों के अन्तर्गत दिया गया है या नहीं, ही निर्णय करने का अधिकार हैं। स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विनिश्चिय करने जैसे विक्रय करने आदि के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होता हैं। खटीक समाज बदनोर को पटटा सन् 1972 में जारी किया गया था, जबकि निगरानी उसके करीब 45 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है जो कि मियाद अधिनियम के अनुसार बेरून मियाद होने से निरस्तनीय हैं। बापी पटटा ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा दिया गया था, जिससे इस पटटे के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही कराने का अधिकार भी केवल ग्राम पंचायत को ही हो सकता हैं, किन्तु ग्राम पंचायत ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त फरमाया जावे। गैर निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के खण्डन में विधिक दृष्टान्त राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 961 पेज नं. 178 — 185 की फोटोप्रति प्रस्तुत की।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बदनोर ने दिनांक 19.12.1972 को समाज खटीकान बदनोर के नाम पर आबादी भूमि 2500 वर्गफीट के भूखण्ड का निशुल्क पटटा जारी किया। उक्त भूखण्ड को रू. 7700/— में दिनांक 06.09.1986 को समाज खटीकान बदनोर ने बंशीलाल पुत्र छीतर खटीक निवासी बदनोर को अनरजिस्टर्ड विक्रय कर दिया।

दिनांक 19.12.1972 को राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 प्रभावशील होकर उक्त नियमों के अंतर्गत नियम 262 के अंतर्गत भूमि को निलाम किये जाने का प्रावधान था। खटीक समाज ग्राम बदनोर एक निजी संस्था हैं। नियम 266 आपसी बातचीत से आबादी भूमि का हस्तान्तरण (2) पंचायत, प्रस्ताव द्वारा ऐसी कोई आबादी भूमि जिसकी कीमत दौ सौ रूपये से ज्यादा नहीं हो सार्वजनिक कार्यों के लिये सार्वजनिक संस्था, बिना कोई कीमत लिये बेचान द्वारा हस्तान्तिरित कर सकती हैं, लेकिन पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस प्रकरण में ऐसा प्रस्ताव ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा पारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं।

खटीक समाज बदनोर द्वारा ग्राम बदनोर की आबादी भूमि क्षैत्रफल 2500 वर्गफीट निशुल्क बापी पटटा दिनांक 19.12.1972 को श्री बंशीलाल पिता छीतर खटीक निवासी बदनोर को दिनांक 06.09.1986 को 7700/—रू. में विक्रय कर दिया गया, जबकि राजस्थान सरकार पंचायत एवं विकास विभाग जयुपर की अधिसूचना क्रमांक एफ 4/एल.जे.

/2 (24) 64/8581 दिनांक 29.04.1964 के अनुसार Transfer of property Act & Registration Act प्रावधानों के अंतर्गत 100/–रू. या इसके उपर की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण का रजिस्ट्रेशन होना व उक्त दस्तावेज पर स्टाम्प लगाया जाना अनिवार्य हैं, जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार निशुल्क जारी पटटे के विक्रय दिनांक 06.09.1986 का पंजीयन नहीं करवाकर उक्त अधिसूचना में विहित शर्त की उल्लघंना स्पष्ट प्रतीत होती हैं।

गैर निगराकार सं. 01 से 05 द्वारा निगराकार के विरूद्व उक्त आबादी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आसीन्द द्वारा प्रकरण सं. 14/2010 ई.दी. निर्णय दिनांक 06.03.2017 को खारिज किया जा चुका हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी को राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं एवं ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा समाज खटीकान बदनोर के नाम दिनांक 19.12.1972 को जारी क्षैत्रफल 2500 वर्गफीट आबादी भूमि का निशुल्क पटटा सं. 28 को खारिज किया जाता है। सचिव ग्राम पंचायत बदनोर को निर्देश दिये जाते हैं कि पटटे खारिज के आदेश का अंकन पटटा बही में लाल स्याही से इन्द्राज करें एवं उक्त आबादी भूमि को ग्राम पंचायत बदनोर की सुपूर्दगी में ली जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा निर्णय के अनुसार विधि विरूद्व जारी पटटे के संबंध में दोषी सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत बदनोर के विरूद्व नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द को आदेश की पालना हेतु प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बदनोर पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

30/8/18
(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा